**बिहार सरकार**

**<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>**

पत्रांक 190864 पटना, दिनांक 3/7/2014

*सं0सं0-ग्रा0वि-7-(SGSY)-02/08 खंड- 1*

प्रेषक,

**श्रीधर सी.,** भा0प्र0से0

आयुक्त, स्वरोजगार ।

सेवा में,

**उप विकास आयुक्त,**

पटना, रोहतास, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, पू0 चम्पारण, समस्तीपुर, सहरसा, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी, जमुई, शेखपुरा, सीवान, बेगूसराय एवं बाँका ।

**विषय -: स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) के अंतर्गत दिनांक-31.03.2013 के बाद अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण के संबंध में ।**

प्रसंग :- BRLPS/Proj/490/13/5786 दिनांक- 06.03.2014, विभागीय पत्रांक- 182310 दिनांक- 02.04.2014, पत्रांक- 186925 दिनांक- 02.06.2014 एवं पत्रांक- 189455 दिनांक- 25.06.2014

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि उक्त पत्रों के द्वारा *SGSY* योजना के अंतर्गत दिनांक- 31.03.2013 के बाद अव्यवहृत अवशेष राशि को SRLM खाते में हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आपके जिलें से वांछित प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है । दिनांक- 25.06.2014 को राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में आपको स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि दिनांक- 05.07.2014 के पहले अनिवार्य रूप से यह कार्रवाई कर ली जाय किन्तु आज तक प्रगति शून्य है । यह अत्यन्त ही खेदजनक है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि दो दिनों के अंदर अवश्य ही राशि हस्तांतरित कर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय । प्रतिवेदन विभाग को अनिवार्य रूप से ई-मेल भी किया जाय।

**इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।**

विश्वासभाजन

3/7/14

**(श्रीधर सी.)**

आयुक्त, स्वरोजगार ।